उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0–425–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017–100(1)प्र0सु0/92 दिनाँक 16 जून, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण विषयक समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये वर्ष 2017–2018 के लिए निम्नवत स्थानान्तरण नीति, एतदद्वारा निर्धारित की जाती है :–

1. **स्थानान्तरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे :–**

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ख) प्रोन्नति, सेवा–समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ग) किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण यथा चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(घ) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

2. (i) समूह 'क' के वे अधिकारी, जो एक वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में समूह 'क' के पद पर 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को दूसरे वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में स्थानान्तरित कर दिया जाये।

उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में तैनात रहा हो।

(ii) समूह 'क' एवं 'ख' के वे अधिकारी जो एक खण्ड (डिवीजन) में 03 वर्ष अथवा एक मण्डल (सर्किल) में 05 वर्ष अथवा वितरण क्षेत्र (जोन) में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी खण्ड (डिवीजन)/मण्डल (सर्किल)/वितरण क्षेत्र (जोन) में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य खण्ड (डिवीजन)/मण्डल (सर्किल)/वितरण क्षेत्र (जोन) में तैनात रहा हो।

3. (i) समूह 'ग' के अन्तर्गत सभी अवर अभियन्ता एक सेक्शन में 03 वर्ष, एक खण्ड में कुल 06 वर्ष, एक मण्डल में 10 वर्ष तथा एक क्षेत्र में कुल 15 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेंगे। कोई भी अवर अभियन्ता जो एक स्थान पर पहले कार्य कर चुका है, उसे उस स्थान पर दोबारा तैनात नही किया जायेगा।

आर के गुप्ता

(ii) समूह 'ग' के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए एक पद पर अधिकतम 03 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसकी तैनाती पद का परिवर्तन किया जायेगा। एक कार्यालय में कार्य करते हुए उसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी तथा जनपद में 10 वर्ष की अवधि होगी। कार्यालय सहायको को उनके गृह जनपदों मे तैनात नही किया जायेगा।

(iii) समूह 'ग' के परिचालकीय वर्ग के सभी कर्मचारी एक स्थान पर 05 वर्ष तथा एक जनपद में 15 वर्ष तक तैनात रहेंगे, तत्पश्चात् उन्हे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

(iv) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण यथा सम्भव उनके गृह जनपद अथवा खण्ड में ही किये जायेंगे लेकिन उन्हें उस उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा, जिसमें कि उनका गृह स्थान स्थित है। उनकी अवधि उपखण्ड में 05 वर्ष, खण्ड में 10 वर्ष तथा मण्डल में 15 वर्ष होगी।

4. शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में एक पद पर 03 वर्ष तक लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

5. प्रत्येक इकाई में उक्त आधारों पर प्रत्येक वर्ग हेतु इकाई के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक स्थानान्तरण सीमित रखा जायेगा। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जायेगा।

6. कारपोरेशन स्तर पर कार्मिकों (अवर अभियन्ता को छोड़कर) के स्थानान्तरण की प्रक्रिया को दिनाँक 30.06.2017 तक यथा सम्भव पूर्ण किया जायेगा परन्तु इस तिथि तक स्थानान्तरण प्रक्रिया के पूर्ण न होने की दशा में दिनाँक 15.07.2017 तक सामान्य स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की प्रक्रिया को दिनांक 15.09.2017 के पश्चात आरम्भ किया जायेगा।

यदि किसी कारणवश इस स्थिति के उपरान्त किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना है तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जाये।

7. (i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती सत्यनिष्ठा रोके जाने की तिथि से अग्रेतर 03 वर्षों तक संवदेनशील पद पर नहीं की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव बनाये जाने की तिथि से विगत 03 वर्षों की अवधि में 03 अथवा इससे अधिक दण्ड (लघु/वृहद) पाये हुये कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> : किसी कार्मिक को यदि किसी एक प्रकरण में 'निन्दा प्रविष्टि' एवं 'असंचयी/संचयी प्रभाव' से वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया है तो उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्मिक को 02 दण्ड प्रदान किये गये माने जायेंगे।

8. अधिकारियों की गृह जनपद में संवेदनशील पदों पर तैनाती नहीं की जायेगी।

आर. के. गुप्ता

9. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

(i) मंदित बच्चों के माता–पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(ii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iii) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iv) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(v) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट–आफ डेट 31–03–2017 मानी जायेगी।

(vi) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाये।

(vii) सामान्यतः किसी कार्मिक को जिस पद/कार्यालय पर पहले कार्य कर चुका हो, पुनः उसे उसी पद/कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा।

(viii) विभिन्न संगठनों के संवेदनशील पद निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं:–

1. **वितरण संगठन:–**

I) सभी विद्युत वितरण मण्डल तथा नगरीय वितरण मण्डल को सम्मिलित करते हुए एवं उससे संबंधित सभी खण्ड एवं उपखण्ड।
II) सभी सामग्री क्रय मण्डल एवं उससे संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के पद।
III) सभी सामग्री भण्डार मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड एवं उपखण्ड।
IV) सभी विद्युत कार्य मण्डल/कार्यशाला मण्डल एवं इससे संबंधित सभी खण्ड।
V) "इक्वेटर" इकाई के सभी पद।

2. **लेखा संगठन:–**

I) वितरण स्कन्ध में उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद।
II) उप निदेशक/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी आन्तरिक सम्प्रेक्षा के पद।
III) उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के वे सभी पद जिन पर धन आहरण एवं वितरण एवं बैंक खाता संचालन के अधिकार प्रदत्त हैं।

3. **जानपद संगठन:–**

I) सभी विद्युत जानपद वितरण मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड एवं उपखण्ड।

आर.के. गुप्ता

10. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनाँक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को स्थानान्तरण किये जाने के पश्चात अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिये जायेंगे।

11. मान्यता प्राप्त सेवा संघो के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–

मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष/सचिवों के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित होने की तिथि से दो वर्ष तक नही किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो इसका पूर्वानुमोदन प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्राप्त किया जायेगा।

12. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई स्थानान्तरित कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी अधिनियम–56 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने वाले सम्बन्धित कार्मिक के अगले वेतन का भुगतान नही किया जायेगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी को दे दी जाये।

13. चार्ज नोट :–

स्थानान्तरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्यभार छोड़ने के समय चार्ज नोट तीन प्रतियों में तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नये कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को, एक प्रति अपने से उच्च अधिकारियों को कार्यभार प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा एवं तृतीय प्रति स्वयं रखेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं/विधिक मामलों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देगा ताकि नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को आगे कार्य सम्पादित कराने में सुविधा हो तथा विभाग को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो।

14. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय द्वारा कभी भी, किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

15. यह स्थानान्तरण नीति जब तक कारपोरेशन द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।

16. कार्मिकों के स्थानांतरण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित द्विसदस्यीय समिति के यथा निर्देशित कार्योत्तर/पूर्वानुमोदन के अनुसार ही किए जाएं।

आर.के.नुमा

17. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति 2017–2018 की स्थानान्तरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त तत्काल प्रभावी होंगे।

18. कारपोरेशन स्तर पर कार्मिकों (अवर अभियन्ता को छोड़कर) के स्थानान्तरण की प्रक्रिया को दिनाँक 30.06.2017 तक यथा सम्भव पूर्ण की जायेगी परन्तु इस तिथि तक स्थानान्तरण प्रक्रिया के पूर्ण न होने की दशा में दिनाँक 15.07.2017 तक सामान्य स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की प्रक्रिया को दिनांक 15.09.2017 के पश्चात आरम्भ किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0–425–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017, तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्याँचल/पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल/केस्को, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
6. समस्त निदेशक गण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उप–महालेखाकार/महालेखाकार (आडिट)–द्वितीय, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, समस्त विद्युत वितरण निगम लि0।
16. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता, वेव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

आर.के.गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)

उप सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)